



Estd.1917

पटना विश्वविद्यालय
PATNA UNIVERSITY

NAAC Accredited B+ Grade

अधिसूचना

- I- निदेशानुसार सूचित करना है कि पटना विश्वविद्यालय, पटना के अन्तर्गत वैसे सभी शिक्षक/कर्मियों जिन्होंने किसी भी मद में व्यय हेतु पत्र निर्गत होने की तिथि से तीन माह या उससे अधिक अवधि से अभिम लिया है, जिसका सामंजन हेतु अभी तक व्यय विवरणी नहीं दी गई है तो उन्हें पत्र निर्गत होने की तिथि से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर व्यय राशि विवरणी हस्तगत कराना अनिवार्य है। उक्त अवधि में अभिम की व्यय विवरणी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनके वेतन से अभिम राशि की वसूली कर ली जायगी।
- II- वर्तमान में जिस कर्मियों के द्वारा भी अभिम राशि प्राप्त किया जा रहा है, उन्हें अभिम प्राप्ति की तिथि से तीन माह के अन्दर अभिम राशि के सामंजन हेतु व्यय विवरणी हस्तगत कराना अनिवार्य होगा। उक्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में उस कर्मियों के वेतन से अभिम राशि की वसूल कर ली जायगी।
- III- ऐसा पाया जा रहा है कि स्वीकृत अभिम राशि से अधिक/बहुत अधिक का बिल-विपत्र दिया जाता है जो उचित नहीं है। अतः यह भी निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत अभिम राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।

कुलपति के आदेश से

Shalini
26-3-2025
कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक ...Ac/A/c-512

दिनांक ...26.03.2025

प्रतिलिपि - 1. सभी विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर विभाग, पटना विश्वविद्यालय, 2. सभी संस्थानों के निदेशक, पटना विश्वविद्यालय, 3. सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, पटना विश्वविद्यालय, 4. सभी पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय, पटना 5. अधीक्षक, पटना विश्वविद्यालय मुद्रणालय, 6. परीक्षा नियंत्रक, पटना विश्वविद्यालय, पटना, 7. मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय औषधालय, पटना, 8. अधीक्षक, पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय, 9. कुलपति के निजी सचिव, पटना विश्वविद्यालय 10. कुलसचिव के निजी सचिव, पटना विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Shalini
26-3-2025
कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय, पटना

MKSingh
26/3/25